निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 915) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

सं० 09/न०वि० (Township)–०५/2026–7036/ न०वि० एवं आ०वि०

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

9 जुलाई 2026

विषय– **पाटलिपुत्र (पटना) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित करने तथा पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) के कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के विकास हेतु टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि क्रय/भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति के संबंध में।**

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4583, दिनांक–23.04.2026 द्वारा राज्य में ग्यारह ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के क्षेत्रों का चयन किया गया है। ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्रों यथा, कोर क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। कोर क्षेत्र प्रत्येक टाउनशिप का वह प्राथमिक भाग है जहां से प्रारंभिक विकास की शुरुआत की जाएगी। तदोपरान्त टाउनशिप का विस्तार विशेष क्षेत्र में किया जाएगा। सभी ग्यारह टाउनशिप का विकास बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 (सहपठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014) तथा बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत की जाएगी।

2. राज्य के चार महत्वपूर्ण शहरों यथा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया जी और सोनपुर के बढ़ते आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए प्रथम चरण में पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) तथा तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। तदानुसार पाटलिपुत्र (पटना) तथा तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य एक व्यापक और बड़े क्षेत्र में टाउनशिप का प्रारंभिक विकास सुनिश्चित करना है।

3. चयनित टाउनशिप की योजना को शुरुआती गति प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के प्रयोजन हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि क्रय/भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इस अग्रिम भूमि की उपलब्धता से राज्य सरकार टाउनशिप का मास्टर–प्लान आधारित विकास तीव्र गति से कर सकेगी। साथ ही, सुनियोजित अवसंरचना एवं आधुनिक सुविधाओं के विकास से निजी निवेश आकर्षित होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार सृजन होगा तथा आसपास के क्षेत्रों का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

4. टाउनशिप के विकास एवं भूमि क्रय/भूमि अधिग्रहण के लिए उच्च प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था बाजार से ऋण के माध्यम से की जाएगी एवं उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित प्राधिकार द्वारा व्यावसायिक एवं अन्य पुनर्गठित भूखंडों की नीलामी/बिक्री एवं अन्य वसूल की गयी शुल्कों से की जाएगी। बाजार ऋण का प्रबंध करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

5. पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) तथा तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के विकास निम्नवत किया जाएगाः

   (i). पाटलिपुत्र (पटना) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को क्रमशः 1010 एकड़ से 3008 एकड़ तथा 800 एकड़ से 1191 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा **(कोर क्षेत्र का मानचित्र एवं राजस्व ग्राम की सूची अनुलग्नक–1 संलग्न)**।

   (ii). पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के कोर क्षेत्र तथा उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और सम्बंध संरचनाओं के विकास हेतु टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि क्रय/भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पाटलिपुत्र (पटना) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित करने तथा पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) के कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के विकास हेतु टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि क्रय/भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–08.07.2026 को मद संख्या–10 के रूप में प्रदान की गयी।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्राकशित किया जाय।**

आदेश से
विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 915-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in